आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-12-2023	**वाद सं0–61 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य, ग्राम–बमनगुटू, पो0–केरा, पं0–सिमीदीरी, प्र0–चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम अनुपस्थित। आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन का प्रमाण आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। आयोग इस आदेश की प्रति अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को भेजते हुए निदेशित करता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग के 15.12.2023 के आदेश के आलोक में कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत करायेंगे और जिन राशन कार्डधारियों का गलत तरीके से राशन कार्ड रद्द किया गया है उन्हें कार्ड रद्द किये जाने की अवधि के बाद से अबतक उतना राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जितना उन्हें प्राप्त होना था। और आयोग के आदेश के आलोक में इस बात की भी जांच प्रतिवेदन समर्पित करें कि किनकी मिली भगत से शिकायकर्ताओं का राशन कार्ड डिलीट किया गया है। आयोग के आदेश का अनुपालन यदि नहीं हुआ तो आयोग अपर समहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारम्भ करने को बाध्य होगा। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को भेज दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	